








पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या: 370/2022

महाप्रबंधक/कार्मिक/पूरने/हाजीपुर के पत्रांक सं. ECR/HRD/Rectt/Pannel/SIM-III Dt-18.02.20 एवं मकाधि/सोनपुर की टि/सं. का/227/नि/आर.आर.बी/पैनल/ईएसएम/एसआईएम-11/07/सोन. दिनांक 15.03.2022 के आलोक में रेलवे भर्ती बोर्ड/मुज0/रॉंची से चयनित को सिग. एवं दूरसं. विभाग के ग्रुप-सी कोटि एसआईएम-111 वेतनमान 5200-20200, जीपी-1900, लेबल-2 के पद पर नियुक्ति पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है एवं एसआईएम-111 हेतु निर्धारित प्रशिक्षण अवधि 01 वर्ष सफलता पूर्वक पूरा कर चुके है, तथा व्यवसायिक जाँच में उत्तीर्ण घोषित है। कोटि एसआईएम-111 वेतनमान 5200-20200, जीपी-1900, लेबल-2 के पद पर वेतन रूपये 20,500 (वेतन हेतु प्रशिक्षण अवधि कि गणना कर योगदान की तिथि से) प्रतिमाह एवं समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते पर अस्थाई रूप से नियुक्ति कर उनके नाम के सामने अंकित पद एवं स्टेशन पर पदस्थापित किया जाता है।

SL	Name/Fathers Name & community	DOB	Medical category & Date	Post/ Place Posting Station Under Supervision	Pay Fixation		Remarks	Photo	Left Impress	Hand	Signature
					Date	Pay					
1	Ajay Anand	04.02.95	B-1 & Below	SIM-III KGG Under SSE/Sig/KGG	17.03.21 01.01.22 DOJ	19900 20500 20500	(Training Period) (Notional Increment) (On Regular Posting Payable) Against Existing Vacancy				
2	Suraj Swaraj	01.12.95	B-1 & Below	SIM-III SDG Under SSE/Sig/SPP	12.03.21 01.01.22 DOJ	19900 20500 20500	(Training Period) (Notional Increment) (On Regular Posting Payable) Against the higher grade vacancy of SIM-I by transferring and utilizing one post of SIM-I from DES to SDG station.				

3	Avinash Kumar	14.01.96	B-1 & Below	SIM-III HJP Under SSE/Sig/ SEE	12.03.21 01.01.22 DOJ	19900 20500 20500	(Training Period) (Notional Increment) (On Regular Posting Payable) Against the higher grade vacancy SIM-II at HJP
---	---------------	----------	-------------	--	-----------------------------	-------------------------	--




उपरोक्त अर्थी गुप/सी के कर्मचारियों पर लागू नियमों से शासित होंगे एवं अवश्यकतानुसार प्रावधानों के अंतर्गत (07) वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी अवधि तक सेवा करनी होगी। अगर किसी कारण वश रेल सेवा 05 वर्षों तक करने में असमर्थ होते हैं या रेल सेवा से हटना चाहते हैं तो प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण पर किये गये खर्च एवं दिये गए वृत्तिका रेलवे को लौटाना होगा। भविष्य में रेल सेवा में बने रहना उनके द्वारा दिये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं पुलिस द्वारा चारित्रिक जांच में अनुकूल रहने के शर्त पर निर्भर करेगा। यदि जांच स्पष्ट प्रतिकूल पाया गया तो इनकी सेवा बिना किसी सूचना दिये समाप्त कर दी जायेगी।


यह रेल परिषद के पत्र सं एन/ई/111/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01.04.2004 से लागू नये पेंशन पदवी से शासित होंगे।
उपरोक्त अर्थी के प्रशिक्षणोपरांत पदस्थापना हेतु क्रम सं. 01 के कर्मचारी दिनांक 24.03.2022 एवं क्रम सं. 02 और 03 के कर्मचारी दिनांक 16.03.2022 से कार्यालय आदेश जारी होने के तिथि तक प्रतिस्कारत अवधि का विस्तार मानी जायेगी।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

सं- का/227/6/1/सिग/जेई/एसआईएम/सोन.
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वमकाधि, वमसिदुई एवं वमविप्र/सोनपुर।
2. समसिदुई/बरौनी/पूर्व एवं परि., समसिदुई/मुज0, समसिदुई/सोनपुर
3. सीसेई/सिग/सोनपुर, शाहपुर पटोरी एवं खगडिया 4. मुख्य कार्याधी बिल-सोनपुर/बरौनी
5. संबंधित कर्मचारी। 6. अभिलेख प्रति 7. कार्यालय आदेश प्रति।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो0 एवं ओबीसी एशो0 सोनपुर मंडल।


(अतुल कुमार)
सकाधि-1
कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर
दिनांक: 25.04.2022


कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर